भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1400

जिसका उत्तर बुधवार, 10 फरवरी, 2021 को दिया जाना है

ग्राम न्यायालय

1400. श्री श्रीरंग आप्पा बारणे :

श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक :

श्री सुधीर गुप्ता :

श्री चंद्रशेखर साहू :

श्री बिद्युत बरन महतो :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि **:**

(क) क्या सरकार ने संपूर्ण देश में ग्राम न्यायालय, स्थापित किए हैं और यदि हां तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या गांवों को अधीनस्थ/उच्च न्यायालयों से न्याय पाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि वे उनके निवास स्थान से बहुत दूर हैं ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गांवों में अधिक ग्राम न्यायालय स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ;

(घ) क्या सरकार का इन न्यायालयों को स्थापित करने के लिए राज्यों को अतिरिक्त धन उपलब्ध कराने का विचार है ;

(ङ) यदि हां, तो और अधिक धनराशि की मांग करने वाले राज्यों का ब्यौरा क्या है ; और

(च) सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में शीघ्र न्याय प्रदान करने के लिए अन्य क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री रविशंकर प्रसाद)

(क) से (च) : ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 की धारा 3 (1) के निबंधन में, राज्य सरकारें संबंधित उच्च न्यायालयों के परामर्श से ग्राम न्यायालयों की स्थापना करने के लिए उत्तरदायी हैं । वर्तमान में केवल 12 राज्यों ने ग्राम न्यायालयों की स्थापना की

है। केंद्रीय सरकार संबंधित राज्यों में ग्राम न्यायालयों की स्थापना के लिए राज्यों और उच्च न्यायालयों से अनुरोध कर रही है। विभिन्न राज्य सरकारों/उच्च न्यायालयों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, 402 ग्राम न्यायालय अधिसूचित किए गए हैं, जिनमें से 225 प्रचालित हैं । राज्यवार विवरण निम्न प्रकार हैं:

राज्य	**अधिसूचित न्यायालय**	**कार्यात्मक न्यायालय**
मध्य प्रदेश	89	89
राजस्थान	45	45
कर्नाटक	2	2
ओडिशा	22	16
महाराष्ट्र	39	24
झारखंड	6	1
गोवा	2	0
पंजाब	9	2
हरियाणा	3	2
उत्तर प्रदेश	113	14
केरल	30	30
आंध्र प्रदेश	42	0
कुल	**402**	**225**

ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 नागरिकों को उनकी दहलीज़ पर न्याय प्रदान करने के प्रयोजन से जमीनी स्तर पर ग्राम न्यायालय की स्थापना के लिए 7 जनवरी, 2009 को अधिसूचना द्वारा अधिनियमित किया गया है। ग्राम न्यायालय अधिनियम मध्यवर्ती स्तर पर प्रत्येक पंचायत या किसी जिले में मध्यवर्ती स्तर पर सन्निहित पंचायतों के समूह या किसी राज्य में जहाँ सन्निहित समूह पंचायतों के समूह के लिए मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत नहीं है, के लिए ग्राम न्यायालय की स्थापना का उपबंध करता है।तथापि, अधिनियम ग्राम न्यायालय की स्थापना को आज्ञापक नहीं बनाता है । ग्राम न्यायालय योजना के कार्यान्वयन को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर 7 अप्रैल, 2013 को उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों और राज्यों के मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन में विचारविमर्श किया गया। सम्मेलन में यह विनिश्चय किया गया कि राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों को ग्राम न्यायालय योजना के अधीन जहाँ नियमित न्यायालय स्थापित नहीं की गई हैं उन तालुकों को कवर करने

पर केंद्रित करने के साथ उनकी स्थानीय समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, जहां भी संभव हो, ग्राम न्यायालय की स्थापना के प्रश्न का विनिश्चय करना चाहिए ।

ग्राम न्यायालय की स्थापना और प्रचालन के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा अब तक रुपये 74.60 करोड़ रुपए की रकम जारी की गई है जिसके अंतर्गत चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 6.00 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं । अगले वित्तीय वर्ष के लिए, ग्राम न्यायालयों की स्थापना और प्रचालन के लिए 8.00 करोड़ रुपए की रकम आवंटित की गई है । संघ सरकार ने 18.00 (अठारह) लाख रु. की सीमित अनावर्ती व्यय को पूरा करने के लिए केंद्रीय सहायता प्रदान किया है। इसके अतिरिक्त, आवर्ती व्यय को पूरा करने के लिए राज्यों को दी जाने वाली केंद्रीय सहायता एक ग्राम न्यायालय के प्रचालन के पूर्ण वर्ष के अनुसार 3.20 लाख रु. तक सीमित होती है और राज्यों को ग्राम न्यायालय के प्रचालन के पहले तीन पूर्ण वर्षों के लिए जारी की जाती है।

****